IMMEDIATE
Reminder

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(100)जैवविविध/विधि/पंरा/2012/3385 दिनांक : 06-02-2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत।
प्रसंगः-- विभागीय पत्रांक 3199 दिनांक 19.12.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के साथ राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड से प्राप्त प्रारूप संलग्न प्रेषित कर आपसे अपेक्षा की गई थी कि राज्य की समस्त ज़िला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन से सम्बन्धित जानकारी उक्त प्रारूप में ग्राम पंचायतवार स्कैन करवाया जाकर, जरिए ई–मेल भिजवाया जाना जाये। खेद का विषय है कि वांछित सूचना अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, जिसके अभाव में राज्य सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पालना प्रतिवेदन भिजवाये जाने में विलम्ब हो रहा है।

अतः कृपया समस्त ज़िले उपरोक्तानुसार स्कैन प्रतियां आवश्यक रूप से rajpr.dlr@rajasthan.gov.in/rajpr.dsalegal@rajasthan.gov.in पर जरिए ई–मेल तीन दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः प्रपत्र ।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्लॉट नं0 7, द्वारिका पुरी, जमना लाल बजाज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर को सूचनार्थ।
4. ए0सी0पी0 मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट– 1

ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति गठन का आदर्श प्रस्ताव प्रारूप

प्रस्ताव सं. ………………… दिनांक: ……………………

ग्राम पंचायत का नाम ……………………… पंचायत समिति ………………….जिला ……………………

अध्यक्ष श्री ………………………………… की अध्यक्षता में दिनांक ……………. को …………… (मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात) पर ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया जिसमे जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41(1) एवं राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 के नियम 23 के अन्तर्गत सभी सदस्यों की सहमति से जैव विविधता प्रबन्ध समिति ……………….. का गठन ……………….* वर्ष की अवधि के लिये किया गया।

* जैव विविधता प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा या स्थानीय निकाय के कार्यकाल के बराबर।

समिति सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	पूरा नाम एवं पता	आयु	पद	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अ.जा./अ.ज.जा. सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति निम्न के लिए उत्तरदायी होगी।

1. अपने क्षेत्राधिकार में जैविक संसाधनों का संरक्षण एवं दीर्घ कालिक उपयोग करना।
2. अपने क्षेत्राधिकार में जैविक संसाधनों की अवैधानिक प्राप्ति/पहुँच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, जयपुर को अपनी राय प्रकट करना।
4. अपने क्षेत्राधिकार में नियमानुसार जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक दोहन/एकत्रीकरण पर फीस वसूली के रूप में करों का एकत्रीकरण करना।
5. जैविक उत्पादों का उपयोग करने वाले एवं स्थानीय वैद्यो (गुणीजनों) एवं व्यवसाइयों के बारे में सूचना संधारित करना।
6. लोक जैव विविधता पंजिका संधारित करना। जिसमें जैविक संसाधनों तक पहुँच और परम्परागत ज्ञान के विवरण की विस्तृत सूचना, लगायी गयी शुल्क की वसूली की सूचना और प्राप्त लाभ एवं उनकी भागीदारी का तरीका विस्तार से अंकित किया जावेगा।
7. जैव विविधता एवं परम्परागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं राजस्थान जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार जैव विविधता निधि का उपयोग एवं प्रबन्धन।

ह0 सरपंच

ग्राम पंचायत

ह0 ग्राम पंचायत सचिव/

अन्य कोई कर्मचारी

Scanned by CamScanner